

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 फरवरी, 2018

सा.का.नि. (अ).- केंद्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 469 के साथ पठित धारा 128 की उपधारा (1) और (3), धारा 129 की उपधारा (3), धारा 133, धारा 134, धारा 136 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कंपनी (लेखा) नियम, 2014 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कंपनी (लेखा) संशोधन नियम, 2018 है।
(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
2. कंपनी (लेखा) नियम, 2014 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल नियम कहा गया है) के नियम 10 में, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“परंतुक कि कंपनियां, जिनसे कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियम, 2015 का अनुपालन करना अपेक्षित है उनके विवरण प्ररूप एओसी-3क में अंग्रेषित करेंगी”।

3. मूल नियमों, के उपाबंध में, प्ररूप एओसी-3 के पश्चात्, निम्नलिखित प्ररूप अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“प्ररूप एओसी-3क
वित्तीय विवरण की महत्वपूर्ण विशेषताओं का विवरण

(कंपनी अधिनियम, 2013, अनुसूची-III - खंड-II)

(इस अधिनियम की धारा 136 की उपधारा (1) के प्रथम परंतुक और कंपनी (लेखा) नियम,
2014 के नियम 10 के परंतुक के अनुसरण में)

संक्षिप्त वित्तीय विवरणों का प्ररूप

भाग 1

कंपनी का नाम

..... तक संक्षिप्त तुलनपत्र

(..... रुपए में)

	विशिष्टियां	वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति तक के आंकड़े (दिन-माह-वर्ष)	पिछली रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति तक के आंकड़े (दिन-माह-वर्ष)	पिछली रिपोर्टिंग अवधि के प्रारंभ में आंकड़े (दिन-माह-वर्ष)
	1	2	3	4
(1)	आस्तियां गैर चालू आस्तियां (क) संपत्ति, प्लांट और उपस्कर (ख) चालू पूंजीगत कार्य (ग) विनियन संपत्ति (घ) साख (ङ) अन्य अमूर्त आस्ति (च) विकासाधीन अमूर्त आस्तियां (छ) धारक पादपों में भिन्न अन्य जैविक आस्तियां (ज) वित्तीय आस्तियां (i) विनिधान (ii) व्यापारगत प्राप्य			

	(iii) ऋण (iv) अन्य (विनिर्दिष्ट करें) (झ) आस्थगित कर आस्तियां (निवल) (ञ) अन्य गैर चालू आस्तियां			
(2)	चालू आस्तियां (क) संपत्ति सूची/यां (ख) वित्तीय आस्तियां (i) विनिधान (ii) व्यापार प्राप्य (iii) नकद और नकद के समकक्ष (iv) उपर्युक्त (iii) के अलावा अन्य बैंक अतिशेष (v) ऋण (vi) अन्य (विनिर्दिष्ट करें) (ग) चालू कर आस्तियां (निवल) (घ) अन्य चालू आस्तियां			
	कुल आस्तियां			
	साम्या और दायित्व			
(1)	साम्या (क) साम्या शेयरपूंजी (ख) अन्य साम्या			
(2)	दायित्व गैर चालू देयताएं (क) वित्तीय दायित्व (i) ऋण (ii) व्यवसाय भुगतान (iii) अन्य वित्तीय दायित्व (मद (ख), में विनिर्दिष्ट के अलावा हो तो उल्लेख करें) (ख) उपबंध			

	(ग) आस्थगित कर दायित्व (निवल) (घ) अन्य गैर चालू दायित्व			
(3)	चालू दायित्व (क) वित्तीय दायित्व (i) ऋण (ii) व्यवसाय भुगतान (iii) अन्य वित्तीय दायित्व (मद (ग), में विनिर्दिष्ट के अलावा हो तो उल्लेख करें) (ख) अन्य चालू दायित्व (ग) उपबंध (घ) चालू कर देयताएं (निवल)			
	कुल साम्या और दायित्व			

टिप्पण: स्तंभ 4, तभी लागू होगा यदि किसी संस्थान द्वारा इंड-एस की अपेक्षाओं के अनुसार आरंभिक तुलनपत्र प्रस्तुत करने में इसकी अपेक्षा हो।

..... को समाप्त अवधि के लिए साम्या में परिवर्तन का संक्षिप्त विवरण

(..... रुपए में)

क. साम्या शेयरपूंजी

रिपोर्टाधीन अवधि के प्रारंभ में अति शेष (दिन-माह-वर्ष)	वर्ष के दौरान साम्या शेयरपूंजी में परिवर्तन	रिपोर्टाधीन अवधि की समाप्ति पर अति शेष (दिन-माह-वर्ष)	पिछली रिपोर्टाधीन अवधि के प्रारंभ में आंकड़े (दिन-माह-वर्ष)*
1	2	3	4

ख. अन्य साम्या

विवरण	रिपोर्टाधीन अवधि के आरंभ में अति शेष	लेखांकन नीति या पिछली अवधि के	रिपोर्टाधीन अवधि के आरंभ में पुनःस्थापित अतिशेष	वर्ष के लिए कुल समग्र आय	ला भां श	प्रतिधा रित आय में अंतरण	अन्य परिवर्तन (विनिर्दिष्ट	रिपोर्टाधीन अवधि की समाप्ति	पिछली रिपोर्टिंग अवधि के आरंभ
-------	--------------------------------------	-------------------------------	---	--------------------------	----------	--------------------------	----------------------------	-----------------------------	-------------------------------

	(दिन- माह-वर्ष)	दौरान चूक में परिवर्तन					किए जाने हैं)	तक अतिशेष (दिन- माह- वर्ष)	में आंकड़े (दिन- माह- वर्ष)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9*
शेयर आवेदन राशि का लंबित आबंटन									
समेकित वित्तीय लिखतों का साम्या घटक									
आरक्षित और अधिशेष (i) आरक्षित पूंजी (ii) विशेष आरक्षित प्रतिभूति (iii) अन्य आरक्षिति (प्रकृति विनिर्दिष्ट करें) (iv) प्रतिधारित आय									
अन्य समग्र आय के माध्यम से ऋण लिखत									
अन्य समग्र आय के माध्यम से साम्या लिखत									
धनापूर्ति हेज निधि का प्रभावी अंश									
पुनःमूल्यांकन अधिशेष									
किसी विदेशी प्रचालन के वित्तीय विवरणों के अंतरण स्वरूप विनिमय अंतर									
अन्य समग्र आय के अन्य मद (प्रकार विनिर्दिष्ट करें)									
शेयर वारंट के लिए प्राप्त धन									

कुल									
* यह स्तंभ तभी लागू होगा यदि किसी संस्थान द्वारा इंड-एस की अपेक्षाओं के अनुसार साम्या में परिवर्तन का विवरण प्रस्तुत करने में इसकी अपेक्षा हो।									

भाग-II

..... को समाप्त अवधि के लिए लाभ-हानि का संक्षिप्त विवरण

(.....रुपए में)

	व्यौरे	वर्तमान रिपोर्टाधीन अवधि हेतु आंकड़े (दिन/माह/वर्ष)	पिछली रिपोर्टाधीन अवधि हेतु आंकड़े (दिन/माह/वर्ष)
	1	2	3
I	प्रचालन से प्राप्त राजस्व		
II	अन्य आय		
III	कुल आय (I+II)		
IV	व्यय		
	प्रयुक्त सामग्री की लागत		
	स्टाक इन ट्रेड की खरीद		
	तैयार माल, स्टॉक इन ट्रेड और चालू कार्य की सूची में परिवर्तन		
	कर्मचारी-हित व्यय		
	वित्त लागत		
	अवमूल्यन और अपाकरण व्यय		
	अन्य व्यय		
	कुल व्यय (IV)		
V	असाधारण मदों और कर के पहले लाभ/(हानि) (I-IV)		

VI	विशिष्ट मदें		
VII	कर के पूर्व लाभ/(हानि) (V-VI)		
VIII	कर व्यय : 1. वर्तमान कर 2. आस्थगित कर		
IX	निरंतर प्रचालनों की अवधि के लिए लाभ/(हानि) (VII-VIII)		
X	अनिरंतर प्रचालनों से लाभ/(हानि)		
XI	अनिरंतर प्रचालनों के कर व्यय		
XII	अनिरंतर प्रचालन (कर के बाद (X-XI) से लाभ अथवा (हानि)		
XIII	(X+XII) की अवधि हेतु लाभ/(हानि)		
XIV	अन्य व्यापक आय क (i) वे मदें जिन्हें लाभ या हानि में पुनः वर्गीकृत नहीं किया जाएगा (ii) उन मदों से संबंधित आयकर जिन्हें लाभ या हानि में पुनः वर्गीकृत नहीं किया जाएगा ख (i) वह मदें जिन्हें लाभ या हानि में पुनः वर्गीकृत किया जाएगा (ii) उन मदों से संबंधित आयकर जिन्हें लाभ या हानि में पुनः वर्गीकृत किया जाएगा		
XV	(XIII+XIV) की अवधि के लिए कुल व्यापक आय (जिसमें इस अवधि के		

	लिए लाभ (हानि) और अन्य व्यापक आय सम्मिलित हो)		
XVI	प्रति साम्या शेयर आय (निरंतर प्रचालन के लिए) : (1) मूलभूत (2) तरलीकृत		
XVII	प्रति साम्या शेयर आय (अनिरंतर प्रचालन के लिए) : (1) मूलभूत (2) तरलीकृत		
XVIII	प्रति साम्या शेयर आय (निरंतर और अनिरंतर प्रचालन के लिए) : (1) मूलभूत (2) तरलीकृत		

भाग III

संक्षिप्त सूची प्रवाह विवरण

भारतीय लेखांकन मानक (इंड एस) 7 की निबंधनों में, नकद प्रवाह के विवरण में निम्नलिखित नकद प्रवाह का संक्षिप्त विवरण शामिल किया जाएगा :

विशिष्टियां	वर्तमान रिपोर्टाधीन अवधि हेतु आंकड़े (दिन/माह/वर्ष)	पिछली रिपोर्टाधीन अवधि हेतु आंकड़े (दिन/माह/वर्ष)
1	2	3
प्रचालन क्रियाकलापों से नकदी प्रवाह		
निवेश क्रियाकलापों से नकदी प्रवाह		
वित्तीय क्रियाकलापों से नकदी प्रवाह		
निवल वृद्धि/(कमी) नकद और नकद समतुल्य		
अवधि के आरंभ में नकद और नकद समतुल्य		
अवधि के अंत तक नकद और नकद समतुल्य		

संक्षिप्त वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

- अधिनियम की अनुसूची-III के प्रभाग-II की अपेक्षानुसार पूर्ण तुलन पत्र, साम्या में परिवर्तन का विवरण, लाभ-हानि का विवरण, नकदी प्रवाह का विवरण (जहां लागू होता है) और अन्य विवरण और उन पर तैयार की गई टिप्पणियां कंपनी की वेबसाइट, लिंक पर उपलब्ध है। वित्तीय विवरण की प्रति कंपनी के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय पर एजीएम की

तारीख से 21 दिन पूर्व की अवधि के लिए कार्यालय समय के दौरान निरीक्षण के लिए भी उपलब्ध है।

2. यहां दर्शायी जाने वाली राशि वही होनी चाहिए जो अनुसूची-III के अनुसार वित्तीय विवरणों में तत्स्थानी समेकित शीर्षों में दर्शायी गई है।
3. ऐसी राशि, यदि महत्वपूर्ण है का पृथक रूप से प्रकटीकरण किया जाए, जिसके द्वारा वित्तीय विवरणों में दर्शाया गया कोई मद लेखांकन नीति में किसी परिवर्तन से प्रभावित है।
4. आकस्मिक दायित्वों और वचनबद्धताओं (उपबंध नहीं किए गए विस्तार तक) की राशि प्रभाग II, अनुसूची-III के अनुसार पृथक रूप से दर्शायी जाए।
5. अनुसूची-III, जिसकी ओर लेखापरीक्षकों द्वारा विशेष ध्यान आकर्षित किया गया है, के अनुसार वित्तीय विवरण बनाने वाले या जो लेखापरीक्षक द्वारा अर्हता की विषय वस्तु बनाने वाले सभी टिप्पण प्रस्तुत किया जाए।
6. कुल आय या व्यय के 20% या उससे अधिक का कोई मद (उपबंधों सहित) पृथक रूप से दर्शाया जाए।
7. टिप्पणों में निम्नलिखित से संबंधित वित्तीय विवरणों के टिप्पण, यदि कोई हो, शामिल होंगे:-

(क) ऋणों (व्यापार भुगतान योग्य से भिन्न) और उस पर ब्याज के पुनः भुगतान में तुलन पत्र की तारीख से चूक की अवधि और राशि।

(ख) रिपोर्टिंग अवधि के दौरान समामेलन, अधिग्रहण, पुनर्गठन और विघटन जैसे व्यापार संयोजन।

(ग) चालू संस्थान मान्यता को प्रभावित करने वाली महत्वपूर्ण घटनाएं।

(घ) कंपनी अधिनियम, 2013 के उपबंधों के अधीन किए गए या आदेश दिए गए जांच और निरीक्षण।

(ङ) रिपोर्टिंग अवधि के दौरान किसी विधि का अननुपालन और लगाया गया जुर्माना/संदत्त प्रशमन शुल्क।

(च) प्रबंधन द्वारा महत्वपूर्ण समझे गए कोई अन्य टिप्पण।

8. संबंधित पक्ष संव्यवहार का प्रकटीकरण इंड-एस 24 की अपेक्षाओं के अनुसार किया जाए।

9. नकद और नकद समतुल्य के ब्यौरों का प्रकटीकरण निम्नवत् किया जाएगा:
- (क) बैंकों में अधि-शेष; (नकद और नकद समतुल्य)
 - (ख) हस्तगत चेक, ड्राफ्ट;
 - (ग) हस्तगत नकद;
 - (घ) अन्य (प्रकृति विनिर्दिष्ट करें)
- (विशेष प्रयोजन के लिए निर्धारित नकद और नकद समतुल्य के लिए पृथक् रूप से प्रकटीकरण किया जाएगा)
10. खंड रिपोर्टिंग उसी रूपविधान/विवरण में की जाएं जो लेखा परीक्षित वित्तीय विवरणों में की गई हैं।
- संक्षिप्त वित्तीय विवरणों की ऊपर वर्णित प्रमुख विशेषताएं उसी प्रकार से अधिप्रमाणित की जाए जिस प्रकार मुख्य वित्तीय विवरण को किया जाता है।

निदेशक की रिपोर्ट

निदेशक की रिपोर्ट की प्रमुख विशेषताएं प्रकट की जाए।

प्रमुख विशेषताओं में निम्नलिखित शामिल होंगी :

- (क) कंपनी के मामलों की स्थिति।
- (ख) घोषित लाभांश का विवरण।
- (ग) सूचित धोखाधड़ियों, यदि कोई है, का विवरण।
- (घ) लेखा परीक्षक की अर्हताओं और उस पर उत्तर का विवरण।
- (ङ) कंपनी के कार्य-निष्पादन की मुख्य बातें। ये मुख्य बातें कंपनियों की महत्वपूर्ण अनुषंगियों के लिए अलग से दी जाएं।

समेकित वित्तीय विवरण

जहां कंपनी को समेकित वित्तीय विवरण तैयार करना आवश्यक है यथा समेकित तुलन पत्र और समेकित लाभ-हानि विवरण, कंपनी आवश्यक परिवर्तन सहित अधिनियम की अनुसूची के प्रभाग 2 की आवश्यकता जैसा कि कंपनी की तुलन पत्र और लाभ हानि विवरण के लिए आवश्यक है

का अनुसरण करेगी। इसके अतिरिक्त, समेकित वित्तीय विवरण उक्त अनुसूची में शामिल “समेकित वित्तीय विवरण को तैयार करने हेतु सामान्य अनुदेश” शीर्षक के अधीन क्रम संख्या (1) और (2) पर विनिर्दिष्ट मदों सहित लागू भारतीय लेखांकन मानकों (इंड एस) में विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं के अनुसार सूचना भी प्रकट करेगा। कंपनी संक्षिप्त समेकित वित्तीय विवरण प्रस्तुत करते समय यथापरिवर्तन उक्त अपेक्षाओं का पालन करेगी।

लेखापरीक्षक की रिपोर्ट

सम्पूर्ण वित्तीय विवरणों पर लेखा परीक्षक की रिपोर्ट भी इस संक्षिप्त वित्तीय विवरण के साथ संलग्न की जाए।

टिप्पण: इसे उसी प्रकार प्रमाणित किया जाए जिस प्रकार तुलन-पत्र को प्रमाणित किया जाता है।

[फा.सं. 1/19/2013-सीएल-V भाग]

के.वी.आर. मूर्ति
27/2/18

के.वी.आर. मूर्ति, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में तारीख 31.03.2014 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 239(अ) द्वारा प्रकाशित की गई थी और तत्पश्चात् तारीख 14.10.2014 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 723(अ), तारीख 16.01.2015 की सा.का.नि. 37(अ), तारीख 04.09.2015 की सा.का.नि. 680(अ), तारीख 27.07.2016 की सा.का.नि. 742(अ) और तारीख 07.11.2017 की सा.का.नि. 1371(अ) द्वारा संशोधित की गई।

**[TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA, EXTRAORDINARY,
PART II, SECTION 3, SUB-SECTION (i)]**

**MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS
NOTIFICATION**

New Delhi, the 27 February, 2018

G.S.R. (E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (3) of section 128, sub section (3) of section 129, section 133, section 134, sub section (1) of 136 read with section 469 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Companies (Accounts) Rules, 2014, namely:-

1. (1) These rules may be called the Companies (Accounts) Amendment Rules, 2018.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Companies (Accounts) Rules, 2014 (hereinafter referred to as the principal rules), in rule 10, the following proviso shall be inserted, namely:-

“Provided that the Companies which are required to comply with Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 shall forward their statement in Form AOC-3A.”.

3. In the principal rules, in the Annexure, after Form AOC-3, the following Form shall be inserted, namely:-

**“FORM AOC-3A
Statement containing salient features of the financial statements**

(Division II- Schedule III to the Companies Act, 2013)

(Pursuant to first proviso to sub-section (1) of section 136 of the Act and proviso to rule 10 of the Companies (Accounts) Rules, 2014)

**Form of Abridged Financial Statements
Part I**

Name of the Company.....

Abridged Balance Sheet as at

(Rupees in.....)

	Particulars	Figures as at the end of current Reporting period (dd-mm-yy)	Figures as at the end of the previous Reporting period (dd-mm-yy)	Figures as at the beginning of the previous Reporting period (dd-mm-yy)
	1	2	3	4
	ASSETS			
(1)	Non-current assets			
	(a)Property, Plant and Equipment			
	(b) Capital work-in-progress			
	(c) Investment Property			
	(d) Goodwill			
	(e) Other Intangible assets			
	(f) Intangible assets under development			
	(g) Biological Assets other than bearer plants			
	(h) Financial Assets			
	(i) Investments			
	(ii) Trade receivables			
	(iii) Loans			
	(iv) Others (to be specified)			
	(i) Deferred tax assets (net)			
	(j) Other non-current assets			
(2)	Current assets			
	(a) Inventories			
	(b) Financial Assets			
	(i) Investments			
	(ii) Trade receivables			
	(iii) Cash and cash equivalents			
	(iv) Bank balances other than (iii) above			
	(v) Loans			
	(vi) Others (to be specified)			
	(c) Current Tax Assets (Net)			
	(d) Other current assets			

	Total Assets			
	EQUITY AND LIABILITIES			
(1)	Equity			
	(a) Equity Share capital			
	(b) Other Equity			
(2)	LIABILITIES			
	Non-current liabilities			
	(a) Financial Liabilities			
	(i) Borrowings			
	(ii) Trade payables			
	(iii) Other financial liabilities (other than those specified in item (b), to be specified)			
	(b) Provisions			
	(c) Deferred tax liabilities (Net)			
	(d) Other non-current liabilities			
(3)	Current liabilities			
	(a) Financial Liabilities			
	(i) Borrowings			
	(ii) Trade payables			
	(iii) Other financial liabilities (other than those specified in item (c))			
	(b) Other current liabilities			
	(c) Provisions			
	(d) Current Tax Liabilities (Net)			
	Total Equity and Liabilities			

Note : Column 4 is applicable when an entity is required to present the opening balance sheet in accordance with the requirements of Ind-AS.

Abridged Statement of Changes in Equity for the period ended

(Rupees in.....)

A. Equity Share Capital

Balance at the beginning of the Reporting period (dd-mm-yy)	Changes in equity share capital during the year	Balance at the end of the Reporting period (dd-mm-yy)	Figures as at the beginning of the previous Reporting period (dd-mm-yy)*
1	2	3	4

B. Other Equity

Particulars	Balance at the beginning of the Reporting period (dd-mm-yy)	Changes in accounting policy or prior period errors	Restated balance at the beginning of the reporting period	Total comprehensive income for the year	Dividends	Transfer to retained earnings	Any other Change (to be specified)	Balance at the end of the Reporting period (dd-mm-yy)	Figures as at the beginning of the previous Reporting period (dd-mm-yy)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9*
Share application money pending allotment									
Equity component of compound financial instruments									

Reserves and Surplus (i) Capital Reserve (ii) Securities Premium Reserve (iii) Other Reserves (specify nature) (iv) Retained Earnings									
Debt instruments through Other Comprehensive Income									
Equity instruments through Other Comprehensive Income									
Effective portion of Cash Flow Hedges									
Revaluation Surplus									
Exchange differences on translating the financial statements of a foreign operation									
Other items of Other Comprehensive Income (specify nature)									
Money received against share warrants									
Total									
* This column is applicable when an entity is required to present the Statement of Changes in Equity in accordance with the requirements of Ind-AS.									

Part II

Abridged Statement of Profit and Loss for the period ended

(Rupees in.....)

	Particulars	Figures for the current Reporting period (dd-mm-yy)	Figures for the previous Reporting period (dd-mm-yy)
	1	2	3
I	Revenue From Operations		
II	Other Income		
III	Total Income (I+II)		
IV	EXPENSES		
	Cost of materials consumed		
	Purchases of Stock-in-Trade		
	Changes in inventories of finished goods, Stock-in-Trade and work-in-progress		
	Employee-benefits expense		
	Finance costs		
	Depreciation and amortization expense		
	Other expenses		
	Total expenses (IV)		
V	Profit/(loss) before exceptional items and tax (I- IV)		
VI	Exceptional Items		
VII	Profit/(loss) before tax (V-VI)		
VIII	Tax expense: (1) Current tax (2) Deferred tax		
IX	Profit (Loss) for the period from continuing operations (VII-VIII)		
X	Profit/(loss) from discontinued operations		
XI	Tax expense of		

	discontinued operations		
XII	Profit/ (loss) from Discontinued operations (after tax) (X-XI)		
XIII	Profit/(loss) for the period (IX+XII)		
XIV	Other Comprehensive Income A (i) Items that will not be reclassified to profit or loss (ii) Income tax relating to items that will not be reclassified to profit or loss B (i) Items that will be reclassified to profit or loss (ii) Income tax relating to items that will be reclassified to profit or loss		
XV	Total Comprehensive Income for the period (XIII+XIV)(Comprising Profit (Loss) and Other Comprehensive Income for the period)		
XVI	Earnings per equity share (for continuing operation): (1) Basic (2) Diluted		
XVII	Earnings per equity share (for discontinued operation): (1) Basic (2) Diluted		
XVIII	Earnings per equity share (for discontinued & continuing operations) (1) Basic (2) Diluted		

Part III Abridged Cash Flow Statement

In terms of Indian Accounting Standard (Ind AS) 7, Statement of Cash Flows, the following abridged Statement of Cash Flows shall be included:

(Rupees in.....)

Particulars	Figures for the current reporting period (dd-mm-yy)	Figures for the previous reporting period (dd-mm-yy)
1	2	3
Cash flows from Operating Activities		
Cash flows from Investing Activities		
Cash flows from Financing Activities		
Net increase/(decrease) In cash and cash equivalents		
Cash and Cash Equivalents at the beginning of period		
Cash and Cash Equivalents at the end of period		

Notes to the Abridged Financial Statements

1. Complete Balance Sheet, Statement of Changes in Equity, Statement of Profit and Loss, , Statement of Cash Flows (wherever applicable) and other statements and notes thereto prepared as per the requirements of Division II to the Schedule III to the Act are available at the Company's website at link..... Copy of financial statement is also available for inspection at the registered office of the company during working hours for a period of 21 days before the date of AGM.
2. The amounts to be shown here should be the same as shown in the corresponding aggregated heads in the financial statements as per Schedule III.
3. Amount, if material, by which any item shown in the financial statements are affected by any change in the accounting policy, should be disclosed separately.
4. The amount of contingent liabilities and that of commitments (to the extent not provided for) should be disclosed separately, as per Division II, Schedule III.

5. All notes forming part of the financial statements as per Schedule III to which specific attention has been drawn by the auditors or which form a subject matter of qualification by the auditor should be reproduced.
6. Any item which constitutes 20% or more of the total income or expenditure (including provisions) should be shown separately.
7. Notes shall include the notes, if any, contained in the financial statements pertaining to the following:
 - a Period and amount of defaults on the balance sheet date in repayment of borrowings (other than Trade Payables) and interest thereon.
 - b Business combination like Amalgamations, acquisitions, restructurings, and demergers during the Reporting period.
 - c Material events affecting the going concern assumption.
 - d Investigation and inspection conducted or ordered under the provisions of Companies Act, 2013.
 - e Non-compliance with any law during the Reporting period and the penalties imposed/compounding fees paid.
 - f Any other note considered significant by the management.
8. Disclosure of Related Party Transaction shall be made in terms of the requirements of Ind AS- 24.
9. Details of cash and cash equivalents shall be disclosed as follows:
 - a Balances with banks;
 - b Cheques, drafts on hand;
 - c Cash in hand;
 - d Others(specify nature)

(Separate disclosure should be made for cash and cash equivalents earmarked for specific purposes).
10. Segment Reporting shall be in the same format/details as reported in audited financial statements.

The above stated salient features of the abridged financial statements should be authenticated in the same manner as the main financial statements.

DIRECTOR'S REPORT

Salient features of Director's Report shall be disclosed.

Salient features shall include the following.

- a) State of affairs of the company.
- b) Details of Dividend declared.
- c) Details of frauds, if any, reported.
- d) Details of auditor's qualifications and reply thereon.
- e) Highlights of the company's performances. These highlights shall be separately given for the companies material subsidiaries

CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

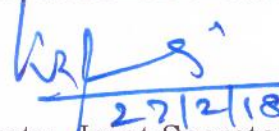
Where a company is required to prepare Consolidated Financial Statements, *i.e.* consolidated balance sheet and consolidated statement of profit and loss, the company shall *mutatis mutandis* follow the requirements of Division II to the Schedule III of the Act, as applicable to a company in the preparation of balance sheet and statement of profit and loss. In addition, the consolidated financial statements shall disclose the information as per the requirements specified in the applicable Indian Accounting Standards (Ind AS) including the items specified at Serial numbers (1) and (2) under the heading "general instructions for the preparation of consolidated financial statements" contained in the said Schedule. The company should follow the above requirements *mutatis mutandis* while presenting the abridged consolidated financial statements.

AUDITOR'S REPORT

The Auditor's report on unabridged financial statements shall also be attached alongwith this Abridged financial statements.

Note : To be certified in the same manner in which the Balance Sheet is to be certified."

[F. No. 1/19/2013-CL-V-Part]



K.V.R. Murty, Joint Secretary

Note: The principal notification was published in the Gazette of India Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (i) vide notification number G.S.R. 239(E), dated 31.03.2014 and subsequently amended vide notification number G.S.R. 723(E) dated 14.10.2014, G.S.R. 37 (E) dated 16.01.2015, G.S.R. 680(E) dated 04.09.2015, G.S.R. 742(E) dated 27.07.2016 and G.S.R. 1371(E) dated 07.11.2017.